

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिघोषणा :-

संख्या- 24/7/15

संख्या 236/7/15

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना-बस पड़ाव हेतु ग्राम-पोखरिया, थाना-मधुपुर, थाना संख्या-266, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के कुल-3.28 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 3.28 एकड़ है और जो ग्राम-पोखरिया, थाना-मधुपुर, थाना संख्या-266, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है -

क्र. सं.	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड संख्या)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	६	6	7	8	9	10	11
1.	05	02	रैयती	धानी सेम	0.18	रोबिन राय चौधरी को	मौजा-	नाला	नाला	नाला
2.	05	03	रैयती	धानी सेम	0.18	रामेन राय चौधरी को	पटवावाद	न०	न०	न०
3.	05	04	रैयती	बाड़ी-2	0.55	रंथीन राय चौधरी को	न० 221	08	08	01
4.	05	05	रैयती	धानी सेम	2.02	रणवीर राय चौधरी, पिता-रुद्र सोमेश राय चौधरी को	एव मौजा न०-219			
5.	05	07	रैयती	धानी सेम	0.35	राय चौधरी, पिता-बोरेन राय चौधरी को गणेश राय चौधरी पिता-सोरेननाथ राय चौधरी				
कुल-					3.28					

इस अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम 30-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए सम्भावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्ता,
देवघर।

ज्ञापिकांक 236 / भू अ0, देवघर, दिनांक 22-7-15

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ-प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

42/2015
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

23-7-15
अपर समाहर्ता,
देवघर।